बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 3

24 फाल्गुन, 1938 (श.)

बुधवार, तिथि ----------

15 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 20

1.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	....	....	04
2.	मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा, बीस सूत्री कार्यक्रम, निगरानी एवं नागरिक विमानन्) विभाग	....	....	01
3.	नगर विकास एवं आवास विभाग	....	....	09
4.	पर्यटन विभाग	....	....	03
5.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	....	....	02
6.	सहकारिता विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**20**

अपराध अनुसंधान विभाग से जांच

***** 178. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत 27 प्रखंड हैं, कई प्रखंडों में आपूर्ति निरीक्षक एवं विपणन पदाधिकारी के पद रिक्त हैं जिसका जिम्मा बी.डी.ओ. एवं सी.ओ. को दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 के बाद जिला आपूर्ति कार्यालय के किसी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है जिसके चलते जिला आपूर्ति कार्यालय अवैध धंधा का अड्डा बन गया है जिसके चलते केरोसिन ऑयल एवं अनाज माफियाओं का दबदबा बढ़ता चला गया और विभाग इनके अनुसार चलता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कारणों से जन वितरण प्रणाली गैस वितरक पेट्रोल पम्पों द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिले में कितने पी.डी.एस. डीलर गैस वितरक पेट्रोल पम्प केरोसिन ऑयल वितरक हैं, इनको प्रतिमाह एवं वर्ष में कितना आवंटन होता है तथा वितरण किया जाता है एवं जिला आपूर्ति कार्यालय का निरीक्षण नहीं होने के कारण इससे ताल्लुक कागजात कार्यालय में नहीं रखने, अवैध वसूली करने एवं गलत कार्य को अंजाम देने के विरुद्ध आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनुज्ञप्ति को पुन: संचालन

***** 179. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के गंगैली निवासी श्री किशुन लाल साहू, जनवितरण प्रणाली के सबसे पुराने अनुज्ञप्तिधारी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जनवितरण प्रणाली अधिनियम बनने के बाद श्री साहू के अनुज्ञप्ति क्रमांक-17/235, 84/200 से नवीकृत किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि अनुज्ञप्ति सह अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-356, दिनांक-19.7.2013 द्वारा अनुज्ञप्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि एक व्यक्ति दो अनुज्ञप्ति धारण नहीं कर सकता, जबकि पूर्व में भी खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उन्हें दो अनुज्ञप्ति का आदेश मिला था;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्री किशुन लाल साहू के अनुज्ञप्ति को पुन: संचालन कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

अवैध सम्पत्ति जब्त

***** 180. **श्री मंगल पांडेय** : क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने भ्रष्ट लोक सेवकों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 बनाया है जिससे अवैध कमाई से जमा की गयी भ्रष्ट लोकसेवकों की सम्पत्ति एक वर्ष के अंदर जब्त करने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि निगरानी ब्यूरो ने इसके अंतर्गत पिछले चार-पांच सालों में करीब 35 भ्रष्ट लोकसेवकों पर आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में कार्रवाई की है, इनके यहां छापेमारी हुई, भ्रष्टाचार निवारण निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत एफ.आई.आर. भी दर्ज की गयी, लेकिन अभी तक किसी की सम्पत्ति जब्त नहीं हो पायी है, एक को छोड़कर 34 मामले अभी तक लंबित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत लंबित मामलों को निपटाकर/मुकदमा कर/एक वर्ष के दौरान भ्रष्ट लोकसेवकों की तमाम अवैध सम्पत्ति जब्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

जल स्रोतों को बढ़ाने का विचार

***** 181. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि गया के शहरी क्षेत्रों में फल्गु नदी से पानी आपूर्ति का स्रोत लिया जाता है और जलमीनारों के द्वारा (बिजली रहे या न रहे) पेयजल की आपूर्ति समय पर की जा रही है, किन्तु शहर की आबादी बढ़ जाने से पूर्व के स्रोतों से पानी आपूर्ति बंद हो गई है, जिससे आम जनता के समक्ष जल की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि शहर की आबादी बढ़ने के पश्चात् फल्गु नदी में जल स्रोतों को बढ़ाने का कोई काम नहीं किये जाने से पानी आपूर्ति की यह समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गया शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु फल्गु नदी में जल स्रोतों को बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

***** 182. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जमुई जिले में राज्य खाद्य आपूर्ति प्रबंधकों द्वारा सहायक महाप्रबंधक, एफ.सी.आई. की मार्फत 35 रु. प्रति क्विंटल हर डीलर से वसूला जा रहा है और 5 से 7 किलो गेहूं-चावल प्रति क्विंटल तौल में कम रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि इस अवैध कमाई से उक्त पदाधिकारियों ने पटना सहित कई शहरों में करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति जमा की है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों कोटि के पदाधिकारियों के विरुद्ध निगरानी विभाग से जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त

***** 183. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया शहर एवं गया जी क्षेत्र विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक-धार्मिक धरोहर नगरी है;

(ख) क्या यह सही है कि प्राचीन नगरी होने के कारण इसकी सड़कें संकीर्ण हैं;

(ग) क्या यह सही है कि गया शहर की सड़कें अतिक्रमित हैं तथा जल निकासी की पुरातन व्यवस्थायें अतिक्रमण के कारण छिन्न-भिन्न हो गयी हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार अभियान चलाकर इस धरोहर नगरी को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पुल बनाकर आवागमन सुलभ कबतक

***** 184. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि खगड़िया जिला मुख्यालय से 20 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित मां कात्यानी मंदिर उपेक्षा का शिकार है;

(ख) क्या यह सही है कि कात्यानी मंदिर को अबतक पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिला है;

(ग) क्या यह सही है कि कात्यानी मंदिर जाने के लिए दो नदी को पार करना पड़ता है और नदियों में पुल की व्यवस्था नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कात्यानी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा नदी पर पुल बनाकर आवागमन सुलभ बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर अस्वीकारात्मक है।
(ख) पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा दिए जाने की नीति नहीं है।
(ग) उत्तर स्वीकारात्मक है।
(घ) राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटक स्थल अवस्थित हैं, जिनके विकास हेतु विभाग स्तर पर पर्यटन रोडमैप का निर्माण किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से पर्यटकीय स्थलों के विकास की योजना है।

बेदखल लागों को दखल कबतक

***** 185. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में जमीन बेदखली, दखल दहानी अभियान चलाया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतायेगी कि पश्चिमी चम्पारण जिले के किन-किन अंचलों में दखल दहानी अभियान के तहत पर्चे की जमीन पर कितने बेदखल लोगों को दखल-कब्जा दिलाया गया है?

विद्युत शवदाह गृह का निर्माण

***** 186. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के आरा नगर निगम में गंगा नदी के पास श्मशान घाट है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्युत शवगृह नहीं रहने के कारण गरीबों को लाश जलाने में और बरसात के समय में काफी कठिनाई उठानी पड़ती है;

(ग) क्या यह सही है कि शवगृह के पास लाश जलाने के आस-पास गंदा रहता है और शेड की कमी है और बगल में शहर के लोग रहते हैं जिससे प्रदूषण की संभावना बनी रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक आरा नगर निगम के गंगा नदी के श्मशान घाट के पास विद्युत शवदाह गृह बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

रसीद निर्गत करते हुए पदाधिकारियों पर कार्रवाई

***** 187. **श्री राज किशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम जमाबंदी खुल गयी, रेन्ट फिक्सेशन हो गया, मात्र टाइटिल सूट फाइल होने के आधार पर उसका रेन्ट रसीद कटना कानूनन बंद नहीं हो सकता है, तबतक वह रेन्ट पे करने का हकदार है जब तक न्यायालय द्वारा जमाबंदी कैंसिल आदेश नहीं हो जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत चितकोहरा मौजा स्थित जमीन खाता नं.-134, खेसरा प्लॉट नं.-1051 अंश का निबंधन कार्यालय, पटना के पत्रांक-1969, दिनांक 22.08.2008 की धारा-3 के खंड-बी.बी. के अधीन देय उत्तर मुद्रांक कर मो. 7,71,400/- रु. की वसूली दिनांक-07.09.2010 में निबंधन कार्यालय में जमा कर दी गयी है तथा केस संख्या-1053/03, म.-2010-11 जमाबंदी 3964-1 द्वारा मालगुजारी रसीद काटी गयी है जो अभी तक कायम है;

(ग) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, पटना सदर के ज्ञापांक-1769, दिनांक-21.04.2011 एवं ज्ञापांक-6224, दिनांक 15.12.2015 द्वारा लगान रसीद निर्गत किया जाना बंद कर दिया है;

(घ) क्या यह सही है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के पत्रांक-1399, दिनांक-17.09.2015 द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर के ज्ञापांक-1998, दिनांक-06.04.2015, ज्ञापांक-3994, दिनांक 25.01.2015 एवं ज्ञापांक-4259, दिनांक 13.07.2016 द्वारा हल्का-03 के राजस्व कर्मचारी को रसीद निर्गत करने का आदेश दिया था;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमविरुद्ध कार्य करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए लगान रसीद निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विद्यार्थियों के लिए समुचित लॉज नहीं

***** 188. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना के बहादुरपुर, रमना रोड समेत कई इलाकों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने तथा अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के उद्देश्य से पटना के लॉज में विद्यार्थियों का बसेरा रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि पूरे प्रदेश के विद्यार्थी यहां आते हैं और लॉज संचालक इनकी विवशता का नाजायज फायदा उठाकर मनमाने तरीके से भाड़ा वसूल रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त लॉज में ना ही समुचित लाइट की व्यवस्था है और ना ही साफ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, जिससे यहां रहने वाले विद्यार्थियों की आंख एवं त्वचा संबंधी रोग से ग्रस्त होते जा रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पटना के लॉज में रहने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लॉज संचालकों पर मनमाने ढंग से पैसे वसूली पर अंकुश लगाने तथा विद्यार्थियों को समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कचरों का उठाव रात्रि में

***** 189. **श्री लालबाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम में सड़कों की सफाई एवं कचरे का उठाव रात के बजाय दिनों में अधिक किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि पुनाईचक मुहल्ले के मोहनपुर स्थित गुलाबराय गली में घरों के सामने कचरों का अम्बार लगा रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि कचरों के कारण दूर-दूर से लोगों द्वारा कचरा फेंक दिया जाता है जो वातावरण को प्रदूषित करता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार गुलाबराय गली, रामाभवन के सामने के कचरों का उठाव रात्रि में या कचरों को अन्य जगहों पर स्थानांतरित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारी पर उच्चस्तरीय जांच

***** 190. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी के द्वारा सबके लिए आवास योजना के अन्तर्गत 37 लाभुकों का चयन कर विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा गया था;

(ख) क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने जिला लोक शिकायत निवारण में चयन नहीं होने पर याचिका दाखिल की थी, जिसपर नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी ने परिवाद की अनन्य संख्या-52031032308160008/1ए के जांचोपरांत अपने प्रतिवेदन में 37 लाभार्थियों में से कुल 11 लाभार्थियों को इस योजना के तहत योग्य पाया है;

(ग) क्या यह सही है कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पक्का मकान दर्शाकर आवेदन को रद्द कर दिया गया है, जबकि मकान ईंट-खपड़ा का है और जर्जर है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला स्तर पर विशेष कमिटी बनाकर कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच कराना चाहती है, ताकि सभी लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ मिल सके, नहीं तो क्यों ?

पर्यटन के रूप में विकसित

***** 191. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को विकसित करने के लिए मुख्य मार्ग से सम्पर्क, विश्रामालय, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, चिकित्सालय आदि आधारभूत संरचनाओं से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक-816/सा., दिनांक 26.7.2013 द्वारा जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय को सभी स्थलों का डी.पी.आर. बनाने का निदेश दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक-1085, दिनांक 16.8.2016 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखीसराय, बड़हिया, सूर्यगढ़ा एवं चानन के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्थलों का नाम भेजने हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि लखीसराय में अशोक धाम के बनखंडी हनुमान मंदिर, वृन्दावन एवं लाली पहाड़ी, बड़हिया में मां बाला त्रिपुर सुन्दरी, सूर्यगढ़ा में श्रृंगीऋषि, लयपवय, शिबडीह,

पूनाडीह, वेणुवन, गौरी शंकर धाम, चानन में जलप्पा स्थान, रामसीर, भुईका पहाड़ आदि का प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने के संबंध में अनुरोध पत्र भेजा गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में सरकार ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहती है?

नगद भुगतान सुनिश्चित कबतक

***** 192. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में धान की खरीद पर सरकार द्वारा बोरा आपूर्ति किए जाने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि एक क्विंटल धान के लिए तीन बोरे की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत 30 रुपये होती है;

(ग) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला में धान खरीद एजेंसी द्वारा किसानों को अपनी ओर से बोरा देने को कहा जाता है जिसके बदले 15 रु. की दर से धान के मूल्य के साथ ही भुगतान का वादा किया जाता है, परंतु उन्हें यह राशि कभी नहीं दी जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पश्चिम चम्पारण सहित सम्पूर्ण राज्य में धान क्रय करने वाली एजेंसी द्वारा प्रति क्विंटल तीन बोरा अथवा प्रति क्विंटल तीस रुपये नगद भुगतान सुनिश्चित करना चाहती है?

दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई

***** 193**. श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड की 26 पंचायतों में आम जनता को किरासन तेल निर्धारित दर से पांच रुपया एवं अनाज दो रुपये अधिक दाम पर दिया जाता है, जिसके कारण जनता में भारी आक्रोश है;

(ख) क्या यह सही है कि इस प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों एवं सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उक्त शिकायतों की जांच अबतक नहीं की गई है और न किसी दोषी दुकानदार को सजा ही मिली है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच मुख्यालय के वरीय अधिकारी से कराकर दोषी व्यक्तियों को नियमानुसार दंडित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

झील का जीर्णोद्धार

***** 194. **श्रीमती नूतन सिंह** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सहरसा शहर मुख्यालय में वर्ष 1997 में बने मत्स्यगंधा झील, जो सहरसा शहर का एक मात्र पर्यटक केन्द्र था, जो आज पूरी तरह से, लगभग 12 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त झील का जीर्णोद्धार कर सुसज्जित करते हुए पुन: चालू करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) इसके जीर्णोद्धार हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर विभागीय पत्रांक-2228, दिनांक 23.07.12 द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि. को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त विभागीय स्तर पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को विभागीय पत्रांक-241, दिनांक 09.02.17 द्वारा स्थल निरीक्षण कर कराए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने का निदेश दिया गया है।

भूगर्भीय नाला से जोड़ने की कार्रवाई

***** 195. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर के अंतर्गत पूर्वी पटेलनगर के पथ संख्या-10 से लेकर पथ संख्या-01 के निकट गांधी मूर्ति होते हुए डी.ए.वी. स्कूल तक अवस्थित बड़े नाले तक जल नि:स्सरण हेतु एक भूमिगत नाला का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है जिससे सभी पथों में अवस्थित जल निकासी के भू-गर्भीय नाले को उसके साथ जोड़ने दिया गया है, किन्तु पथ संख्या-06 में अवस्थित भू-गर्भीय नाला को उस नवनिर्मित बड़े भू-गर्भीय नाले के साथ बिना जोड़े छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि पथ संख्या-06 में स्थित भूगर्भीय नाला को नवनिर्मित बड़े भूगर्भीय नाला से नहीं जोड़ने का क्या औचित्य है, अब भी नवनिर्मित बड़े भूगर्भीय नाला से पथ संख्या-06 में अवस्थित भूगर्भीय नाले को जोड़ने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नाला का निर्माण

***** 196. **श्री सूरजनंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत अनिसाबाद स्थित पश्चिमी शिवपुरी (सिंचाई भवन रोड) में नाला नहीं रहने से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नाला निर्माण हेतु विभाग द्वारा निविदा निस्तार हेतु कार्यालय में लंबित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त सड़क के किनारे नाला निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नाला एवं सड़क का निर्माण

***** 197. **मो. तनवीर अख्तर** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत वार्ड नं. 51 नारायण बाबू गली में देव लेन में बबलू के घर से अशोक मिस्त्री के मकान तक नाला एवं सड़क के नहीं रहने से वहां के मुहल्लावासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि मुहल्ला में नाला एवं सड़क के नहीं रहने से बरसात के दिनों में महिलायें एवं बच्चों को भयंकर समस्या झेलनी पड़ती है, बच्चे एवं महिलाएं नारकीय जीवन जीने को विवश हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार लगभग 100 फीट नाला एवं सड़क का निर्माण अविलम्ब कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 15 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्